

न्यायालय उप जिला कलेक्टर महवा, जिला दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
कमला बनाम रामचरण वगैरा
वकील

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

मु.सं. 108/19

दिनांक 06-03-2020

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इसके अलावा प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी करवाने में भी कोई रुचि नहीं ली गयी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थिया अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गंभीर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को चलाना नहीं चाहती है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थिया के पक्ष में जारी अन्त. अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 21-10-2019 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

hp
उप जिला कलेक्टर
महवा (दौसा)